HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The, 25th November, 2013

No.CCP(NCR)FTD-Jakhal/CA/2013/2694.- Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional, recreational and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the Controlled Area around village Jakhal (Hadbast Number 210) district Fatehabad to be read with Drawing Number DTP (F) 148/2012 dated 8th October, 2012/14th August 2013.

North: Starting from point A *i.e.* the North-West corner of Rectangle Number 3 of village Talwari (Hadbast Number 212), thence moving towards East along the common state boundary of Punjab and Haryana up to point B *i.e.* the North-East corner of Rectangle Number 3 of village Himatpura (Hadbast Number 205) where it meets the boundary of already notified controlled area *vide* Haryana Government Gazette Notification Number CCP (NCR) FTD-Tohana/CA/2011/2380 dated 16th September 2011.

East: Thence moving from point 'B' towards South-West along the already notified controlled area *vide* Haryana Government Gazette Notification Number CCP(NCR) FTD-Tohana/CA/2011/2380 dated 16th September, 2011 upto point 'C' *i.e.* the southernmost corner of Rectangle Number 42 of village Kudni (Hadbast Number 204).

South: Thence moving from point 'C' towards North-West along the western revenue boundary of village Kudni, village Udepur (Hadbast Number 207), and southern revenue boundary of village Kasanpur (Hadbast Number 209), village Jakhal, village Talwara (Hadbast Number 211), village Talwari upto point 'D' *i.e.* the South-West corner of Rectangle Number 39 of village Talwari.

West: Thence from point 'D' moving towards North along the Western revenue boundary of village Talwari upto point 'A' *i.e.* the point of start.

T.C. GUPTA,

Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्रम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 नवम्बर, 2013

सख्या सी॰सी॰पी॰ (एन॰सी॰आर॰)/एफ॰टी॰डी॰/जाखल/सी॰ए॰/2013/2694.— चूंकि, सरकार की राय में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, मनोरंजनात्मक तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों हेतु संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रुप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

गांव जाखल (हदबस्त संख्या 210), जिला फतेहाबाद, के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(एफ)148/2012, दिनांक 08 अक्टूबर, 2012/14 अगस्त 2013 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तरः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जोिक गांव तलवाड़ी (हदबस्त संख्या 212) की आयत संख्या 3 का उत्तरी— पश्चिमी कोना है, तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर पंजाब तथा हिरयाणा की संयुक्त राज्य सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव हिम्मतपुरा (हदबस्त संख्या 205) की आयत संख्या 3 का उत्तरी—पूर्वी कोना है जहां यह हिरयाणा राजपत्र अधिसूचना सख्या सी॰सी॰पी॰ (एन॰सी॰आर॰)/एफ॰टी॰डी॰—टोहाना /सी॰ए॰ / 2011 / 2380, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा पहले से ही अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा से मिलती है ।
- पूर्वः तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण—पष्चिम की तरफ हरियाणा राजपत्र अधिसूचना सख्या सी॰सी॰पी॰ (एन॰सी॰आर॰)/एफ॰टी॰डी॰—टोहाना / सी॰ए॰ / 2011 / 2380, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा पहले से ही अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जोकि गांव कुदनी (हदबस्त संख्या 204) की आयत संख्या 42 का अति दक्षिणी कोना है।
- दक्षिणः तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से होते हुए उत्तर— पश्चिम की तरफ गांव कुदनी, गांव उदेपुर (हदबस्त संख्या 207)की पष्चिमी राजस्व सीमा तथा गांव कासनपुर (हदबस्त संख्या 209), गांव जाखल, गांव तलवाडा (हदबस्त संख्या 211), गांव तलवाड़ी की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव तलवाड़ी की आयत संख्या 39 का दक्षिणी— पश्चिमी कोना है ।

पश्चिमः तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर दिशा की ओर गांव तलवाड़ी की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है ।

टी॰ सी॰ गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।